

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी, मनसुख राम डामोर, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 29/2022 (वाद)

दायर दिनांक - 23/02/2022

निर्णय दिनांक - 05/08/2022

अनवान

1. शंकरलाल पिता मोहनलाल बैरवा निवासी कुण्डिया तह० रेलमगरा जिला राजसमन्द
वादी

बनाम

1. दलीचन्द्र पिता हजारी बैरवा निवासी कुण्डिया तह० रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. उगमीबाई पत्नि रामचन्द्र बैरवा निवासी कुण्डिया तह० रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. उदयलाल पिता रामचन्द्र बैरवा निवासी कुण्डिया तह० रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. प्रेमादेवी पिता रामचन्द्र बैरवा निवासी कुण्डिया तह० रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. रतनलाल पिता रामचन्द्र बैरवा निवासी कुण्डिया तह० रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमन्द
प्रतिवादी

उपस्थित :-

वादी की ओर से - श्री लादुलाल जाट, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से - पेंरोकार सरकार

वाद बाबत् विभाजन

:: निर्णय ::

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम कुण्डिया पटवार मण्डल कुण्डिया तहसील क्षेत्र रेलमगरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 1322, 481, 482 कुल किता - 03 कुल रकबा 1.4002 हैक्टेयर भूमि स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर



सहायक कलक्टर

भिजवाया गया जिस पर वादी पक्ष अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	शंकरलाल पिता मोहनलाल बैरवा, सा.देह खातेदार	482/1 481/3 1322/3	2-2071 0-1788 0-2537	2.17 0.36 1.10
	योग :-	किता-03	0-6396	3.63
2.	दलीचन्द पिता हजारी बैरवा 1/2, रतनलाल पिता रामचन्द्र बैरवा 1/8, उदयलाल पिता रामचन्द्र बैरवा 1/8, प्रेमी पिता रामचन्द्र बैरवा 1/8, उगमी बाई पत्नि रामचन्द्र बैरवा 1/8 सा.देह खातेदार, SBI शाखा गिलुण्ड रहन हिस्सा दलीचन्द पर	481/1 482/2 482/4 1322/2	0-1585 0-0486 0-1834 0-2491	1.74 1.05 1.92 1.08
	योग :-	किता-04	0-6396	5.80
3.	शंकरलाल पिता मोहनलाल बैरवा 1/2, दलीचन्द पिता हजारी बैरवा 1/4, उदयलाल पिता रामचन्द्र बैरवा 1/16, रतनलाल पिता रामचन्द्र बैरवा 1/16,, प्रेमी पिता रामचन्द्र बैरवा 1/16, उगमी बाई पत्नि रामचन्द्र बैरवा 1/16 सा.देह खातेदार, SBI शाखा गिलुण्ड रहन हिस्सा दलीचन्द पर	481/2 482/3 482/5 1322/1	0-0350 0-0052 0-0656 0-0152	0.37 0.06 0.69 0.06
	योग :-	किता-04	0-1210	10.61

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा तथा बैंक रहन पूर्वनुसार यथावत रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- मनसुख राम डामोर आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या :- 29/2022

अनवान

1. शंकरलाल पिता मोहनलाल बैरवा निवासी कुण्डिया तह० रेलमगरा जिला राजसमन्द
वादी

बनाम

1. दलीचन्द्र पिता हजारी बैरवा निवासी कुण्डिया तह० रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. उगमीबाई पत्नि रामचन्द्र बैरवा निवासी कुण्डिया तह० रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. उदयलाल पिता रामचन्द्र बैरवा निवासी कुण्डिया तह० रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. प्रेमादेवी पिता रामचन्द्र बैरवा निवासी कुण्डिया तह० रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. रतनलाल पिता रामचन्द्र बैरवा निवासी कुण्डिया तह० रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमन्द
प्रतिवादी

दावा :- वाद बाबत विभाजन

वादी की ओर से :- लादुलाल जाट , अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से:- पेरोकार सरकार

मैं इस आशय मे दिनांक 05/08/2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी ग्राम कुण्डिया पटवार मण्डल कुण्डिया तहसील क्षेत्र रेलमगरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 1322, 481, 482 कुल किता - 03 कुल रकबा 1.4002 हैक्टेयर भुमि स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादी पक्ष अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान



सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	शंकरलाल पिता मोहनलाल बैरवा, सा.देह खातेदार	482/1 481/3 1322/3	2-2071 0-1788 0-2537	2.17 0.36 1.10
	योग :-	किता-03	0-6396	3.63
2.	दलीचन्द पिता हजारी बैरवा 1/2, रतनलाल पिता रामचन्द्र बैरवा 1/8, उदयलाल पिता रामचन्द्र बैरवा 1/8, प्रेमी पिता रामचन्द्र बैरवा 1/8, उगमी बाई पत्नि रामचन्द्र बैरवा 1/8 सा.देह खातेदार, SBI शाखा गिलुण्ड रहन हिस्सा दलीचन्द पर	481/1 482/2 482/4 1322/2	0-1585 0-0486 0-1834 0-2491	1.74 1.05 1.92 1.08
	योग :-	किता-04	0-6396	5.80
3.	शंकरलाल पिता मोहनलाल बैरवा 1/2, दलीचन्द पिता हजारी बैरवा 1/4, उदयलाल पिता रामचन्द्र बैरवा 1/16, रतनलाल पिता रामचन्द्र बैरवा 1/16, प्रेमी पिता रामचन्द्र बैरवा 1/16, उगमी बाई पत्नि रामचन्द्र बैरवा 1/16 सा.देह खातेदार, SBI शाखा गिलुण्ड रहन हिस्सा दलीचन्द पर	481/2 482/3 482/5 1322/1	0-0350 0-0052 0-0656 0-0152	0.37 0.06 0.69 0.06
	योग :-	किता-04	0-1210	10.61

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 05/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।



(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा